कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ईमेल–dfot.sgl@mp.gov.in, फोन–07805-233336 फैक्स–233335

सूचना का अधिकार

क्रं0 / मा0चि0 / 4055 सिंगरौली, दिनांक 09.08.2023

प्रति,

महाप्रबंधक,
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास
प्राधिकरण, परि.कि.ई. सिंगरौली

विषयः– सिंगरौली जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत गजराबहरा से सुलियरी को यार्ड मार्ग के निर्माण हेतु 5.672 हे0 वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण सिंगरौली को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र कमांक 6–एमपीआर 034 / 2022–बीएचओ, दिनांक 21.07.2023

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल म0प्र0 का पत्र कमांक / एफ–5 / 1196 / 2022 / 10–11 / 3196 भोपाल दिनांक 24.07.2023

–000–

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र ;पद्ध के माध्यम से विषयांकित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत गजराबहरा से सुलियरी कोलयार्ड मार्ग के निर्माण की अनुमति हेतु मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, को वनमण्डल सिंगरौली में प्रभावित वनभूमि रकवा 5.672 हे0 के व्यपवर्तन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव में प्रथम चरण की (सैद्धान्तिक) सशर्त स्वीकृति जारी की गयी है। जिसमें वन परिक्षेत्र पूर्व सरई के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 329, 336, 337, 378 कुल रकवा 5.672 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है।

2. प्रथम चरण की (सैद्धान्तिक) सशर्त स्वीकृति के अनुसार एन.पी.व्ही की राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं0	मद का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	कैम्पा मद में जमा की जाने योग्य राशि	पर्वेक्षण शुल्क की राशि	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	क्षतिपूर्ती वनीकरण	5.672	8,12,200 / –	81,220 / –	8,93,420 / –
2	नेट प्रेजेन्ट वैल्यू	5.672	69,68,562 / –	–	69,68,562 / –
	योगः–		77,80,762 / –	81,220 / –	78,61,982 / –

3. क्षतिपूर्ती वनीकरण की राशि रू. 8,12,200 / –(रू. आठ लाख बारह हजार दो सौ मात्र) एवं एन.पी.व्ही. की राशि रू. 69,68,562 / –(रू. उनहत्तर लाख अढ़सठ हजार पॉच सौ बासठ मात्र) जिसे कैम्पा मद में भारत सरकार की वेबसाईट के माध्यम से जमा कराकर चालान एवं यू.टी.आर. की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। तथा पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रू. 81,220 / –(रू. इक्यासी हजार दो सौ बीस मात्र) इस कार्यालय में जमा करे।

4. साथ ही प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र चार प्रतियों में प्रस्तुत करें, ताकि पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया जा सके।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली
9.8.2023

GSM CamScanner(Make in India)

Scanned with CamScanner

सिंगरौली दिनांक 09.08.2023

पृ0क्र0 / मा0चि0 / 4656

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, संजय टाईगर रिजर्व की ओर सूचनार्थ एवं गजराबहरा से सुलियरी कोलयार्ड मार्ग निर्माण के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि 5.672 हे0 भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् आरक्षित अथवा संरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना प्रारूप तैयार कर अपर प्रधान मुख्य संरक्षक कार्यालय को भेजने का कष्ट करे।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली
9.8.2023

GSM CamScanner(Make in India)

Scanned with CamScanner